

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक पत्रा ()वसु/मुवसं/15-16/5028
निमित्.

दिनांक :- 23/6/17

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी,
एफसीए., राजस्थान, जयपुर।

विषय :- उदयपुर-अहमदाबाद रेल्वे लाईन के गेज परिवर्तन बावत 35.7823 है
वनभूमि का प्रत्यावर्तन (आनलाईन प्रस्ताव सं. FP/RJ/ RAIL/14152/2015

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ 14 ()2015/एफसीए/प्रमुवसं/1672 दिनांक
31.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रस्ताव में रही कमियों की पूर्तियां कर उप वन संरक्षक, उदयपुर से उनके पत्र सं0 8855 दिनांक 29.06.17 एंव उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) के पत्र सं0 3716 दिनांक 20.06.2017 से इस कार्यालय को प्रस्ताव पुनः प्राप्त हुआ है।

बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

1- उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर व दक्षिण) द्वारा प्रस्ताव के पार्ट आ के बिन्दु सं0 5 में कार्य आयोजना विवरण के संबंध में आवश्यक पूर्तियां कर दी गई है।

2- यूजर ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि के विवरण में प्रस्ताव के पार्ट आ के बिन्दु सं0 13 में जो कमियां थी, उनकी निम्नानुसार पूर्तियां कर दी गई है।

(1) प्रस्तावित वन भूमि 35.7823 है0 के प्रत्यावर्तन के विरुद्ध अवशेष रही 1.3443 है0 गैर वन भूमि का आंवटन विभाग के पक्ष मे होकर अमलदरामद हो गया है। इस प्रकार कुल 35.7823 है. भूमि का अमलदरामद विभाग के पक्ष मे हो चुका है।

(2) के.एम.एल फाईल यूजर ऐजेन्सी द्वारा 35.7823 है. की संलग्न कर दी गयी है।

(3) प्रस्ताव में गैर वन भूमि 35.7823 है. आवित हो चुकी है पूर्ण भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है।

3- गैर वन भूमि का रथल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

4- प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के आस-पास के वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.4 है। इको वेल्यू की कुल 03 केटेगरी निर्धारित है। जिनमें प्रथम केटेगरी ओपन फोरेस्ट तथा उसके पश्चात् दूसी केटेगरी सघन वन (Dense forest) की है। चूंकि क्षेत्र ओपन फोरेस्ट नहीं है। अतः सघन वन की दर लगाई गई है। जो कि उचित है।

5- प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र के आस-पास के वन क्षेत्र का निरीक्षण कर ऑक्यूलर एस्टीमेशन के आधार पर वनस्पति घनत्व उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) का क्षेत्र उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण) के क्षेत्र अलग हट कर एंव मौका स्थिति अनुसार है अतः उदयपुर (उत्तर) के वृक्षों का घनत्व 0.4 है एंव वन मण्डल उदयपुर दक्षिण में वृक्षों का घनत्व 0.75 ही है। वृक्षों की संख्या में अन्तर का कारण यह है कि 10 सेमी से 30 सेमी गोलाई तक के

3014 वृक्षों की संख्या कम करने पर 6339 वृक्ष रहती है। ऑन लाईन तालिका में तदनुसार दुरस्ती कर दी गई है।

6— उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन कर दिया है एंव प्रभावीत वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है। (एनेक्सचर- 1)

7— एन.पी.वी. व अन्य राशि की गणना कर संलग्न कर दी गई है।


8— यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्तियां करा संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

9— यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किये गये विवरण में कास्ट बेनेफिट प्रपत्र में कास्ट बेनिफिट रेशो संलग्न कर दिया गया है।

10— प्रस्ताव में संलग्न समस्त दस्तावेजों का समन्वय सही करके आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। ऑन लाईन किये गये सभी दस्तावेजों की हॉर्ड प्रति संलग्न कर दी गई हैं। प्रस्ताव की मूल व एक छांया प्रति पर यूजर ऐजेन्सी के अधिकृत अधिकारी के व वन विभाग के नक्शे, राशि गणना आदि पर उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

इन समस्त ईडीएस. की पूर्तियां ऑन लाईन कर प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया गया है। प्रस्ताव की हार्ड दो प्रति पुनः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय


(अक्षय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1— उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), उदयपुर।

2— उप मुख्य इंजिनियर (नि.) उत्तर पश्चिम रेल्वे, उदयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।